फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री सुखलाल | **बनाम** | **विपक्षी : श्री रूपा व अन्य**

किस्म मुकदमा – 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम | **पत्रावली संख्या : 02/21**

कार्यवाही विवरण

दिनांक 21.08.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 1/3 के सम्मन रजिस्टर्ड एडी करा कर रसीद व डिलीवरी सर्टिफिकेट पेश किये। शामिल फाईल रहें। प्राप्त डिलीवरी सर्टिफिकेट से विपक्षी संख्या 1/3 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त। विपक्षी संख्या 1/2, 1/3 अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 1/2, 1/3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। विपक्षी संख्या 2 का जवाब का अवसर पूर्व में ही बंद किया जा चुका है। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार मौजा भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर हाल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. में आराजी न. 4810 श.न., 4811, 4812, 4813, 4814, 4815 किता 1 रकबा 5 बिघा 17 बिस्वा स्थित है जो वर्तमान राजस्व रेकर्ड में विपक्षी स. 1 के नाम 134/360 हिस्से से अंकित है। शेष हिस्सा अन्य सहखातेदारों के नाम पर अंकित है। प्रार्थनाग्रस्त आराजी में से 1/117 हिस्सा यानि 1 बिस्वा भूमि 500/– पांच सौ रूपया के प्रतिफल में विपक्षी स. 1 ने प्रार्थी को दिनांक 07.12.1979 को विक्रय पत्र लिखवा दिनांक 11.12.1979 को विक्रय पत्र पंजियन करा प्रार्थी को कब्जा सिपुर्द कर दिया। प्रार्थनाग्रस्त आराजी प्रार्थी ने विपक्षी से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया तब से उक्त खरीद सुदा भूमि पर प्रार्थी का स्वतंत्र आधिपत्य चला आ रहा है और उक्त भूमि विक्रय के बाद एक पल के लिए भी विक्रय सुदा भूमि पर विपक्षी का कोई कब्जा नहीं रहा है न है। विक्रय सुदा भूमि का प्रार्थी एक मात्र स्वामी अधिकारी एवं आधिपत्यधारी है। प्रार्थी ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को पंजियन कराने के बाद विक्रय पत्र के आधार पर भूमि खाते कराने के लिए कभी भी पटवारी हल्का को नहीं दिया ओर न ही पटवारी हल्का ने नामान्तरण खोला [illegible] होने से प्रार्थी यह भूमि अपने नाम अंकित नहीं करा पाया जिससे प्रार्थी यह भूमि अपने नाम अंकित कराने का अधिकारी है। यह कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि विपक्षी के नाम पर गलत रूप से अंकित है और प्रार्थी की क्रय सुदा भूमि [illegible] रूप से अंकित होने से वह अन्य लोगो को रहन बेह बक्षीश आदि तरिको से हस्तान्तरित करने पर आमादा [illegible]ब कि प्रार्थी की खरीद सुदा भूमि को विपक्षी को विक्रय करने का कोई अधिकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2026.01.15 14:49:12 IST
Reason: SelfAttested

नहीं है जिससे विपक्षी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया
विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नही किया गया। अनुपस्थित रहे।

प्रकरण में प्रथम दृष्टया पाया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि विपक्षी रूपा पिता गोकल
नाम 134/360 हिस्से से दर्ज है। शेष हिस्सा अन्य खातेदारों के नाम अंकित है। प्रा
द्वारा विपक्षी रूपा पिता गोकल के हिस्से में से 1/117 हिस्से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र
क्रय करने का कथन कहा है जिसके समर्थन में दस्तावेज के रूप में रजिस्टर्ड विक्र
पत्र की प्रति पेश की है। उक्त विक्रय पत्र से प्रार्थी के इस कथन को बल मिलता
कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थनाग्रस्त भूमि में से 1/117 वां हिस्सा क्रय किया है। विपक्षी द्वा
प्रार्थी के कथनों का खण्डन नहीं किया गया है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी का हि
निहित होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं। प्रथ
दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से अपूरणीय क्षति व सुविधा संतुलन
बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं। अन्य बिन्दुओं को मुल वाद में सा
सबुत के आधार पर तय किया जायेगा। उपरोक्त तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामल
सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किये जाने से प्रा
का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पा
जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तका
अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर हा
तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी सवत् 2068–71 की खाता संख
नया 1387 की आराजी नम्बर 4810 श.न. 4811, 4812, 4813, 4814, 4815 किता
रकबा 5 बिघा 17 बिस्वा भूमि में विपक्षी रूपा पिता गोकल के नाम अंकित 134/3
हिस्से में से 1/117 हिस्से में विपक्षीगण भू–प्रबन्धन के बाद बने नये नम्बरान के आध
पर मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रख
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2026.01.15 14:49:12 IST
Reason: SelfAttested